

जनपद बिजनौर प्रेस नोटः- थाना चांदपुर

दिनांक 14.11.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 622/2024 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस में संबंधित अभियुक्त को चोरी किए गए 04 मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 14.11.2024 वादी सुमित अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल निवासी मौहल्ला पतियापाडा करूबा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी की मोबाइल की दुकान से मोबाइल चोरी हो गए है। वादी द्वारा अभियुक्त सुहैल पुत्र नजाकत नि0 मौ0 चाहसंग करूबा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को दुकान के पास से दुकान से चोरी किए गए 04 मोबाईल फोन 1. Micro



Max A075 2. X2Pro 3. ITEL 4. इन्टेक्स मोबाइल सहित पकड लिया गया । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 622/2024 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में संबंधित अभियुक्त सुहैल पुत्र नजाकत नि0 मौ0 चाहसंग करूबा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर चोरी किए गए 04 मोबाईल फोन 1. Micro Max A075 2. X2Pro 3. ITEL 4. इन्टेक्स मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुहैल पुत्र नजाकत नि0 मौ0 चाहसंग कर-बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगीः-

चोरी किए गए 04 मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास सुहैल उपरोक्तः-

- 1.मु0अ0सं0 622/2024 धारा 305 (ए)/317 (2) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0स0 479/21 धारा 379/411 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0स0 484/15 धारा 414 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0स0 487/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0स0 749/17 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट-थाना नजीबाबाद

दिनांक 14.11.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0-385/24 धारा 126(2)/115(2)110/118(1)/333/352/351(2) बीएनएस के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.07.2024 को वादिया साबरीन पुत्री रईस निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण 1. रफत 2.अल्तमश पुत्रगण निसार 3. तौहीदा पत्नी निसार 4. निसार पुत्र शरीफ समस्त निवासीगण ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ दुर्व्यवहार कर वादिया व वादिया के भाई के साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डन्डों के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0-385/2024 धारा 126(2)/115(2)/110/118(1)/333/352/351(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही:-

आज दिनांक 14.11.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रफत पुत्र निसार निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया तथा शेष अभियुक्तों को गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रफत पुत्र निसार निवासी ग्राम कल्हेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रफत उपरोक्त-

- 1. मु0अ0स0-385/2024 धारा 3126(2)/115(2)110/118(1)/333/352/351(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2. मु0अ0स0-30/2023 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3. मु0अ0स0-233/2021 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4. मु0अ0स0-243/2024 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.उ0नि0 मौ0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.का0 1223 रजत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



दिनांक - 14.11.2024

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 380/2024 धारा 74/351(2) बी0एन0एस0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 12.11.2024 को वादिया ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शाकिर पुत्र मजाहिर निवासी मौ0 गुली तालाब कर्स्बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की 14 वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गयी तथा कहीं पर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा 74/351(2) बी0एन0एस0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट बनाम शाकिर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

आज दिनांक 14.11.2024 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शािकर पुत्र मजािहर निवासी मौ0 गुली तालाब करूबा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाकिर पुत्र मजाहिर निवासी मौ0 गुली तालाब कर-बा व थाना नहटौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 श्री भारत सिंह थाना नहटौर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 695 नवीन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर



दिनांक - 14.11.2024

थाना रेहड पुलिस ने मु0अ0सं0 124/2024 धारा 115(2)/191(2)/333/352/351(2)/103(1)/140(3) बीएनएस मे वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 04.11.2024 को वादी श्री अजयपाल पुत्र मनीराम सिंह निवासी ग्राम जाफराबाद थाना रेहड़ जनपद बिजनौर ने थाना रेहड पर तहरीर दी कि दिनांक 03.11.2024 तो उसका अपनी पत्नी रजनी से झगडा हो रहा था। इसी से क्षुब्ध होकर रात्रि समय करीब 20.45 बजे रजनी ने अपने पिता ब्रजपाल व भाई रजत को भी मौके पर बुला लिया, जो दो गाडियों में अपने साथ



04 अज्ञात लोगों को लेकर आये तथा वादी व वादी के परिजनों के साथ मारपीट की गयी। अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन मीनू को जान से मारने की नियत से गाडी से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड पर मु0अ0सं0 124/2024 धारा 115(2)/109(1)/191(2)(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 13.11.2024 को घायल की उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। थाना रेहड पुलिस द्वारा अभियोग को धारा 115(2)/191(2)/333/352/351(2)/103(1) बीएनएस मे तरमीम किया गया।

कार्यवाही -

थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित / प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.रजत पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम शिवलालपुर थाना आईटीआई काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर 2.अंकित सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी मौ0 कविनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर 3.मौ0 अय्यूब पुत्र हाफिज खां निवासी मौ0 कविनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर 4.राकेश पुत्र आनन्द सिंह निवासी ग्राम भरतपुर थाना कुंडा जनपद उधमसिंहनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u> गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

- 1.रजत पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम शिवलालपुर थाना आईटीआई काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 2.अंकित सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी मौ० कविनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 3.मौ० अय्यूब पुत्र हाफिज खां निवासी मौ० कविनगर थाना काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर
- 4.राकेश पुत्र आनन्द सिंह निवासी ग्राम भरतपुर थाना कुंडा जनपद उधमसिंहनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.श्री किशन अवतार प्रभारी निरीक्षक थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री फिरोज खान थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 485 आस मौहम्मद थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 4.कां0 275 अम्बुल पंवार थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 5.कां0 19 केशव थाना रेहड जनपद बिजनौर
- 6.कां0 1747 हेमन्त कुमार थाना रेहड जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक - 14.11.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 139/24 धारा 105/112(2)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 12.11.2024 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र छुट्टन सिंह निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि वादी के पिता छुट्टन सिंह का प्रतिवादी 1.अरविन्द पुत्र लखपत 2.लखपत पुत्र नौबत 3.हेमामालिनी पत्नी लखपत 4.लक्ष्मी पत्नी अरविन्द निवासीगण ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर से समूह के पैसे जमा करने को लेकर विवाद हो गया था तथा



अभियुक्तगण ने वादी के पिता के साथ मारपीट की । उपचार के दौरान वादी के पिता छुट्टन की मृत्यु हो गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिवाला कला पर मु0अ0सं0 139/24 धारा 105/112(2)/352 बीएनएस व धारा 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट बनाम अरविन्द आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अरविन्द पुत्र लखपत 2.लखपत पुत्र नौबत 3.हेमामालिनी पत्नी लखपत 4.लक्ष्मी पत्नी अरविन्द निवासीगण ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

- 1.अरविन्द पुत्र लखपत निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 2.लखपत पुत्र नौबत निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 3.हेमामालिनी पत्नी लखपत निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 4.लक्ष्मी पत्नी अरविन्द निवासी ग्राम युसुफा थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.श्री बृजिकशोर शर्मा थानाध्यक्ष शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 2.व0उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 601 राजेन्द्र सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 5.आरक्षी 1927 सुन्दर सिंह थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 6.आरक्षी 2060 सोनू कुमार थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर
- 7.म0कां0 1125 अन्तिम थाना शिवालाकला जनपद बिजनौर